भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 660

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम में रियायतों का प्रावधान किया जाना</u>

660. श्री डी. राजा :

श्री एम. पी. अच्युतन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ से लागू हुए कंपनी अधिनियम में कुछ रियायतों का प्रावधान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 में विशेष श्रेणी/श्रेणियों की कंपनियों के लिए अधिनियम के कुछ उपबंध लागू न करने अथवा अपवादों या संशोधनों समेत लागू करने के रूप में छूट देने का उल्लेख है। इस प्रकार की छूट प्रदान करने से पहले संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप अधिसूचना प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इस प्रकार की अधिसूचना तैयार करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

*****